

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
63/24	188,183 RTA	भीलवाडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
केला बाई वगै.	बनाम	कजोड वगै.	
वकील :-	श्री देवेन्द कुमार मेहता	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ
26.06.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हो।		
5.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर प्रतिवादी अफ 1 व 2 की ओर से श्री अमर सिंह मीणा एडवोकेट का ब्यालतनामा पेश हुआ जो शांति किया गया। प्रतिवादी अफ 3 की ओर से श्री अमर सिंह मीणा एडवोकेट ने अडररिफिग पेश की है। पत्रावली वास्ते ब्यालतनामा / जवाब दिनांक 24.9.24 को पेश हो।		
24.9.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 6.11.24 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)		
6.11.24	पत्रावली पेश हुई। बकुलार आरोकेत उपर प्रतिवादी अफ 3 की ओर से ब्यालतनामा पेश नहीं हुआ। मगप माहते है। पत्रावली वास्ते जवाब ब्यालतनामा दिनांक 18.12.24 को पेश हो।		
18-12-24	पत्रावली पेश हुई। बकुलार आरोकेत उपर प्रतिवादी अफ 3 की ओर से श्री अमर सिंह मीणा एड. का ब्यालतनामा पेश हुआ। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11.2.25 को पेश हो।		

Handwritten signature and notes on the right margin.

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विधि
--------	--------------------	------

- 11.2.25 पत्रावली नं. 331 व कुलपति कार्यालय (उप) जवाब प्रतिवादी पेश नहीं करी। समय पाएते ही पत्रावली वाले जवाब दिनांक 24.3.25 को पेश हो।

✍
- 24.3.25 पत्रावली नं. 331 व कुलपति कार्यालय (उप) जवाब पेश नहीं हुआ। समय पाएते ही पत्रावली वाले जवाब दिनांक 6.5.25 को पेश हो।

✍
- 6.5.25 पत्रावली नं. 331 व कुलपति कार्यालय (उप) जवाब पेश नहीं हुआ। समय पाएते ही पत्रावली वाले जवाब दिनांक 10.6.25 को पेश हो।

✍
- 10.6.25 पत्रावली नं. 331 व कुलपति कार्यालय (उप) जवाब पेश नहीं हुआ। समय पाएते ही पत्रावली वाले जवाब दिनांक 10.6.25 को पेश हो।

✍

नोटिस
बिना
दिनांक